

समस्त पत्र-व्यवहार कुलसचिव को ही संबोधित किया जाये  
किसी प्रकार के व्यक्तिगत नाम से नहीं। पूर्व संदर्भ यदि हो  
तो ,देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी।

दूरभाष : 2529540,25275320  
तार : यूनिवर्सिटी  
फैक्स : 0731-2529540



## देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय-भवन  
इन्दौर-452001

क.:सं.वि.क./2023/363  
प्रति,

दिनांक 20 APR 2023

1. प्रभारी अधिकारी,  
तक्षशिला परिसर, दे.अ.वि.वि. इन्दौर
2. निदेशक/विभागाध्यक्ष,  
समस्त अध्ययन शालाएं, दे.अ.वि.वि. इन्दौर
3. प्रभारी अधिकारी,  
नालंदा परिसर, दे.अ.वि.वि. इन्दौर

**विषय :-** विश्वविद्यालय के दोनो परिसरों व खेल मैदानों में बगैर सक्षम प्रशासकीय स्वीकृति के किसी भी प्रकार के कार्यक्रमों/गतिविधियों के आयोजन की अनुमति नहीं देने बाबत।


**संदर्भ :-** क.:सं.वि.क./कु.स./2023/341 दिनांक 02.03.2023

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयांतर्गत विषय एवं संदर्भ में निर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि, विश्वविद्यालय के दोनो परिसरों व खेल मैदानों में किसी भी प्रकार की गतिविधि एवं कार्यक्रमों का आयोजन बगैर सक्षम प्रशासकीय स्वीकृति के किया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है।

अतएव सक्षम प्रशासकीय स्वीकृति के उपरांत ही परिसर एवं खेल मैदान पर कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति प्रदान करेंगे। यदि किसी संस्था द्वारा बिना अनुमति के कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो उसकी सूचना तत्काल थाने को दी जाकर कानूनी कार्यवाही की जावे।


कुलपति के आदेशानुसार,

  
कुलसचिव

पृ.कमांक:सं.वि.क./2023/363

दिनांक 20 APR 2023

1. प्रांगण प्रभारी,तक्षशिला परिसर/नालंदा परिसर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।
2. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, की ओर सूचनार्थ।
3. आय.टी. सेन्टर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, तक्षशिला परिसर खण्डवा रोड की ओर प्रस्तुत कर सर्व संबंधितों के सूचनार्थ विश्वविद्यालय की वेबसाईड पर अपलोड करने बाबत।
4. सुरक्षा ऐजेन्सी तक्षशिला परिसर/नालंदा परिसर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर।

  
अधिष्ठाता छात्र कल्याण